महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 141 /13–XIX–2/66 खाद्य/2012

प्रेषक,

सुबर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौडी/
देहरादून/नैनीताल/चम्पावत।
3. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
कुमायूँ/गढ़वाल संभाग,
हल्द्वानी/देहरादून।
4. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।
5. अपर निबन्धक,
उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ,
देहरादून।
6. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक,
भा0रा0कृषि सहकारी विपणन संघ,(नेफेड)।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 22 मार्च, 2013

विषयः– रबी विपणन सत्र 2013–14 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ की खरीद।

महोदय,

उपर्युक्त विषय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 7–1/2013– S&I दिनांक 30.01.2013 एवं आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 20.02.2013 से प्राप्त प्रस्ताव पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक **01 अप्रैल 2013** से गेहूँ खरीद प्रारम्भ की जा रही है।

उक्त के परिपेक्ष्य में रबी खरीद वर्ष 2013–2014 में गेहूँ का क्रय राज्य सरकार की जिन क्रय एजेंसियों द्वारा किया जाना है, का प्रस्ताव तथा अनुदेश निम्नानुसार हैः–

2. **गेहूँ का मूल्य**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–2014 के लिए अच्छे औसत किस्म के गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य **रूपये 1350.00 प्रति कुन्टल** निर्धारित किया गया है।

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्टल
गेहूँ	1350.00

3. **गेहूँ की गुण विनिर्दिष्टयाँ**

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रबी खरीद सत्र 2013–2014 के लिये निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुसार गेहूँ क्रय किया जायेगा।

4. **क्रय एजेन्सियाँ एवं खरीद का लक्ष्य**

(क) दिनांक **23.02.2013** को रबी क्रय हेतु शासन स्तर पर हुई बैठक में समस्त अधिकारियों के साथ हुये विचार–विमर्श के क्रम में रबी क्रय योजना वर्ष 2013–2014 में 2.00 लाख मी0टन गेहूँ का क्रय मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत करने हेतु विगत वर्ष 2012–13 की भाँति निम्नलिखित क्रय एजेन्सियाँ नामित की गयी है। एजेन्सियों तथा उनके द्वारा खोले जाने वाले क्रय केन्द्र तथा एजेन्सियों के लिए निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	क्रय एजेन्सी का नाम	केन्द्रों की संख्या	लक्ष्य मी0टन में
1	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)	17	40,000
2	भारतीय खाद्य निगम	23	30,000
3	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0	162	1,30,000
	योग	**202**	**2,00,000**

गेहूँ का क्रय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत **1,70,000** मी0टन गेहूँ का संग्रहण स्टेटपूल में तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय किया जाने वाला गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा। निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर यदि गेहूँ की आवक बनी रहती है तो किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित लक्ष्य से अधिक भी गेहूँ क्रय किया जा सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य क्रय एजेंसी को भी गेहूँ खरीद हेतु नामित किया जायेगा।

(ख) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्र पर लाये गये प्रत्येक कृषक का गेहूँ खरीदा जायेगा, चाहे वह सहकारी समिति का सदस्य हो अथवा न हो। उनके द्वारा ऐसी भी शर्त नहीं लगायी जायेगी कि पहले किसान द्वारा उनके बकाया का भुगतान किया जाये, तभी उनका गेहूँ खरीदा जायेगा।

(ग) रबी विपणन वर्ष **2013–2014** में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूँ क्रय की अवधि **दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से दिनांक 30 जून, 2013 तक** की जानी है। आवक को देखते हुये गेहूँ क्रय की समयावधि/तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

5. **समय सारिणी**

रबी विपणन सत्र 2013–2014 में गेहूँ क्रय हेतु आवश्यक व्यवस्था विषयक समय सारिणी के अनुसार सभी सम्बन्धित अधिकारी/क्रय एजेंसी यथासमय तद्नुसार वाँछित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

6. **जिला खरीद अधिकारी का नामांकन**

उत्तराखण्ड में रबी विपणन सत्र 2013–2014 में गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी एवं सुचारू ढंग से सम्पादित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक "जिला खरीद अधिकारी" नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिला अधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा, जिसका गेहूँ खरीद के

कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने का दायित्व होगा एवं जो विभिन्न क्रय एजेंसियों एवं भण्डारण एजेंसी के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा।

7. <u>क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थापना</u>

जनपद में गेहूँ के उत्पादन एवं विपणन योग्य अतिरेक (Marketable Surplus) की परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में गेहूँ के आवक का आंकलन स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के सहयोग से किया जायेगा। किसानों के विपणन योग्य सरप्लस की मात्रा को ध्यान में रखते हुये ग्रामों के सम्बद्धीकरण के आधार पर क्रय केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। क्रय केन्द्रों से सम्बन्धित ग्रामों की किसानवार सूचियाँ सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी एवं क्रय संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी कि गेहूँ खरीद का कार्य किसी भी प्रकार प्रभावित न हो। यदि किसी किसान का नाम सूची से छूट गया हो तो आवश्यक जाँच के बाद जिलाधिकारी उसके गेहूँ को खरीदने की अनुमति दे सकते हैं। क्रय केन्द्र खोलने में यह विशेषकर ध्यान देने योग्य है, कि एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक संख्या में क्रय केन्द्र न खोले जायें। ऐसी भी स्थिति नहीं उत्पन्न हो कि किसानों को अपने खेतों से बहुत दूर गेहूँ ले जाना पड़े क्योंकि इससे "डिस्ट्रेस सेल" के अवसर उपलब्ध होंगे। अतः क्रय केन्द्रों के स्थान, निर्धारित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाये कि 10 कि0मी0 की परिधि में कम से कम एक क्रय केन्द्र अवश्य खोला जाये। वर्तमान खरीद वर्ष 2013–2014 में, जिले में खरीद कार्य हेतु नामित क्रय एजेंसियों के अधिकारी अपने क्रय केन्द्रों की सूची जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एवं शासन की नीति के अन्तर्गत गेहूँ क्रय केन्द्रों के स्थान तय करेंगे। सभी क्रय एजेंसियाँ जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर क्रय केन्द्र खोलना सुनिश्चित करेंगी। क्रय केन्द्र निर्धारित स्थान पर विलम्बतम दिनांक 01 अप्रैल, 2013 तक निश्चित रूप से खुल जायें, तथा खरीद हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित कर ली जायें। क्रय केन्द्र निर्धारित करते समय यह अवश्य देख लिया जाय कि विगत वर्षों में जिन क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद नहीं हुई है एवं इस वर्ष भी उन केन्द्रों पर गेहूँ आने की सम्भावना न हो तो उन क्रय केन्द्रों को अनावश्यक रूप से खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे उन केन्द्रों पर स्टाफ की तैनाती एवं व्यवस्था का औचित्य नहीं रह जाता है।

यदि राज्य सरकार द्वारा स्थापित गेहूँ क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में गेहूँ की आवक नहीं होती है एवं गेहूँ का स्थानीय मण्डियों में बाजार भाव समर्थन मूल्य के आस–पास रहता है तो गेहूँ खरीद के लक्ष्य की पूर्ति करने के निमित्त क्रय ऐजेन्सियाँ सब सेन्टर स्थापित कर सकती है एवं आवश्यकता समझे जाने पर गेहूँ खरीद कार्य हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन से मोबाईल टीम भी गठित कर सकती है, ताकि गेहूँ के बड़े उत्पादकों से उनके खेत/खलिहान से भी गेहूँ की खरीद की जा सकें। क्रय एजेन्सियों द्वारा सब–सैन्टर खोलने अथवा मोबाईल टीमें गठित करने पर उनका अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त कर लिया जाय एवं उसकी सूचना शासन/खाद्यायुक्त/सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/भारतीय खाद्य निगम को अवश्य भेजी जाय।

8. <u>क्रय एजेंसियों को बोरा उपलब्ध कराना</u>

(1) भारतीय खाद्य निगम को गेहूँ क्रय करने के लिए स्वयं बोरों की व्यवस्था करनी होगी। वर्तमान में राज्य सरकार के पास विभिन्न गोदामों 26,500 नये एस0बी0टी0 बोरे एवं 15,000 नये पी0पी0 बोरे कुल 41,500 बोरें संग्रहीत हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त खरीफ–खरीद सत्र 2012–13 हेतु डी0जी0एस0 एण्ड डी0 को भेजे गये इण्डेट के सापेक्ष 9.00 लाख बोरे अभी प्राप्त होने शेष है। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल/कुमायूँ सम्भाग की मांग पर रबी विपणन सत्र 2013–14 हेतु गेहूँ खरीद के लिए 23.75 लाख एस0बी0टी0 नये जूट बोरो का क्रय भारत सरकार के माध्यम से डी0जी0एस0 एण्ड डी से क्रय करने हेतु शासनादेश संख्या 23/13–XIX-2/66 (1) खाद्य/2012

दिनांक 21.02.2013 के द्वारा वित्त विभाग की सहमति दिनांक 15.02.2013 से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(2) भारतीय खाद्य निगम को छोड़कर अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गेहूँ की खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा की जायेगी। गेंहूँ खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्र पर न्यूनतम गांठ बोरों की हर समय उपलब्ध रहेगी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार बोरों की व्यवस्था स्वयं की जायेगी। राज्य सरकार के पास वर्तमान में उपलब्ध बोरों के अतिरिक्त गेहूँ क्रय हेतु यदि आवश्यकता होती है तो उसे डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के माध्यम से क्रय करने पर विचार किया जा सकता है। तात्कालिक आवश्यकता होने पर भारतीय खाद्य निगम अथवा अन्य स्रोतों से उधार पर बोरे लिये जा सकेंगें, जिनकी प्रतिपूर्ति क्रय किये गये नये एस0बी0टी0 से की जायेगी।

(3) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 अथवा शासन द्वारा नामित अन्य क्रय संस्थाओं को बोरों की आपूर्ति, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी की लिखित माँग पर प्रारम्भ में अप्रैल माह की आवश्यकता के अनुसार उधार आधार पर की जायेगी तथा अनुवर्ती माँग पर बोरे तभी दिये जायेंगे, जब पूर्व में उधार आधार पर दिये गये बोरों के मूल्य का भुगतान क्रय एजेंसी द्वारा कर दिया जाय अथवा उसके मूल्य का समायोजन करा लिया जाय। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्धतानुसार गोदामों से आवंटित बोरों के उठान एवं आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों पर सुलभ कराने का दायित्व सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय समन्वयक अधिकारी का होगा।

उत्तराखण्ड राज्य में स्टेटपूल योजना अन्तर्गत **1.70 लाख** मी0टन गेहूँ क्रय करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 10(2) के अन्तर्गत 50 कि0ग्रा0 क्षमता के **23.75** लाख (नग) एस0बी0टी0 जूट बोरे उप निदेशक, पटसन आयुक्त के द्वारा उपलब्ध दरों के आधार पर डी0जी0एस0 एण्ड डी0 भारत सरकार के माध्यम से क्रय किये जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में भी एस0बी0टी0 जूट बोरों की खरीद शासन की अनुमति के पश्चात डी0जी0एस0 एण्ड डी0 भारत सरकार के माध्यम से ही किया जायेगा।

(4) रबी विपणन सत्र 2013–14 में स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले 1,70,000 मी0टन गेहूँ, जिसका सम्प्रदान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को किया जाना है, हेतु क्रय संस्थाओं को बोरों की आपूर्ति खाद्य विभाग द्वारा ही की जायेगी। चूँकि क्रय किया गया गेहूँ वापस राज्य सरकार को उन्हीं बोरों में प्राप्त होगा, अतएव ऐसी स्थिति में बोरों के मूल्य के समायोजन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। स्टेटपूल गोदामों में गेहूँ प्राप्ति के समय यदि बोरे अधोमानक के पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रय संस्थाओं के देयकों से नियमानुसार कटौती करने के पश्चात भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

9. **<u>गेहूँ खरीद हेतु धन की व्यवस्था एवं कृषकों को भुगतान</u>**

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए अपने द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर जितनी मात्रा में गेहूँ की खरीद की जायेगी, उस मात्रा के लिए किसानों को भुगतान हेतु धन की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं की जायेगी।

(2) खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों में क्रय किये जाने वाले गेहूँ के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृत कराई जाने वाली कैश क्रेडिट लिमिट से आवश्यकता के अनुसार अग्रिम के रूप में धन उपलब्ध कराया जायेगा। यह धन रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रहेगा।

(3) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 (यू0सी0एफ0) के द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय के लिये अपने स्रोतो से धन की व्यवस्था की जायेगी। क्रय किये गये गेहूँ को स्टेट पूल अथवा केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान कर नियमानुसार बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) यदि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 (यू0सी0एफ0) द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट से धन की माँग की जाती है तो इसके लिए उनको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज अदा करना होगा। ब्याज की शर्ते वही होंगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(5) राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों (खाद्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0) द्वारा किसानों से क्रय किए गये गेहूँ की डिलीवरी स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल में शीघ्रता से इस प्रकार की जाएगी ताकि Flow of Funds लगातार बना रहें।

(6) कृषकों से क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान करने में तत्परता सुनिश्चित की जायेगी ताकि किसी प्रकार के विलम्ब से उन्हें असंतोष न रहें। गेहूँ की खरीद सामान्यतः दृष्टि परीक्षण के आधार पर की जाती है। तद्नुसार गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूँ खरीद करके, सम्बन्धित अभिलेखों में स्पष्ट प्रविष्टि के उपरान्त कृषकों को, केन्द्र प्रभारी द्वारा गेहूँ के मूल्य का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के लिए बैंकों में "Wheat Purchase Account" के नाम से चालू खाता खोलकर क्रय एजेंसियाँ अपने नियमों के अनुसार काश्तकारों को भुगतान सुनिशचित करेगी। उत्पादकों/कृषकों को गेहूँ के मूल्य के रूप में मिलने वाली धनराशि की सुरक्षा की दृष्टि से ₹ 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) तक की धनराशि के चैक आर्डर अंकन तथा ₹ 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) या उससे अधिक के चैक "क्रास्ड" अंकन कर निर्गत किये जायेंगे। यदि कोई छोटा काश्तकार जिसको कुल देय धनराशि रूपये 5,000/– (रूपये पाँच हजार मात्र) से अनधिक हो, और वह लिखित रूप से यह अनुरोध करें कि उसे आर्डर चैक न देकर "बियरर चैक" निर्गत किया जाय तो उसे बियरर चैक दिया जा सकता है, किन्तु चैक निर्गत करने से पूर्व उसे इस तथ्य की जानकारी दी जाए कि बियरर चैक से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका भुगतान ले लिये जाने पर, उसकी जिम्मेदारी चैक प्राप्तकर्ता की होगी। सभी क्रय एजेंसियों द्वारा भुगतान से सम्बन्धित उपरोक्त सामान्य अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) खाद्य आयुक्त स्तर पर, स्टेट पूल में क्रय किये जाने वाले गेहूँ के लिए धन की व्यवस्था सी0सी0एल0 तथा सब्सिडी के माध्यम से करने, फ्लो ऑफ फण्ड्स बनाये रखने, सी0सी0एल0 से प्राप्त धनराशि बैंक को वापस करने तथा क्रय केन्द्रों को निर्गत धनराशियों का समायोजन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक (खाद्य) का होगा।

10. <u>क्रय केन्द्रों पर सुविधायें</u>

(1) क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का है। तद्नुसार मण्डी समितियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में खोले गये क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुख–सुविधा के निमित्त निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें :–

(क) क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शनार्थ सूचनापट।
(ख) किसानों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाल्टी, लोटा गिलास, मिट्टी के मटके एवं वाटरमैन आदि।
(ग) बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रॉली आदि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल एवं जानवरों को पानी पिलाने के लिए नाँद एवं पानी की व्यवस्था।
(घ) कृषकों को बैठने के लिये तख्त, दरी एवं साया के लिए शैड/शामियाना आदि।

(च) गेहूँ की सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में दो जाली वाले उपयुक्त किस्म के छलने एवं पंखे।

(छ) असामयिक वर्षा से कृषकों द्वारा लाये गये गेहूँ की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में तिरपाल/पॉलीथीन शीट आदि।

(ज) गेहूँ से भरे बोरों की सिलाई हेतु स्टिचिंग मशीन की व्यवस्था।

(2) यदि मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अथवा उससे बाहर स्थित क्रय केन्द्रों पर मण्डी समितियों द्वारा उपरोक्तानुसार सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो मण्डी समिति की ओर से यह व्यवस्था क्रय एजेंसी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी। जिसमें होने वाले व्यय का समायोजन मण्डी शुल्क से निम्नानुसार कर लिया जायेगाः—

क्र0सं0	क्रय केन्द्र पर खरीद मात्रा	अनुमन्य व्यय सीमायें
1	सीजन में 250 मी0टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र	रूपये 5,000/— प्रति केन्द्र
2	सीजन में 251 से 600 मी0टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र	रूपये 10,000/— प्रति केन्द्र
3	सीजन में 600 मी0टन से अधिक खरीद वाले क्रय केन्द्र	रूपये 15,000/— प्रति केन्द्र

कृषकों को शासनादेशानुसार सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु उत्तराखण्ड मण्डी निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में अपने विभाग की ओर से मण्डी समितियों को पृथक से भी आदेश निर्गत किये जायेंगे।

11. **<u>हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान</u>**

(1) क्रय केन्द्रों पर काश्तकारों द्वारा लाये गये गेहूँ की बोरों में भराई, स्टैन्सिलिंग, सिलाई, तुलाई एवं ट्रकों में लोडिंग आदि कार्यों के लिए हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य सम्बनिधत क्रय एजेंसी द्वारा किया जायेगा। ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य नियमानुसार शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये ताकि खरीद में कठिनाई न हो।

(2) जहाँ तक हैण्डलिंग ठेकेदारों के लिये पारिश्रमिक दरों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हैण्डलिंग ठेकेदारों को उनकी सेवाओं के लिए स्थानीय प्रचलित दर पर अथवा निम्नलिखित उच्चतम दरों, जो भी कम हो, के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाये :—

क्र0सं0	मद	प्रति कुन्टल अधिकतम दर (रूपये में)
1	खाद्यान्नों की बारों में मार्क लगाकर भराई, तुलाई, बॉट तथा माप, सुतली का प्रबन्ध, 12 टाँकों की सिलाई	3.30
2	भरे बोरों के स्थानीय चट्टे लगाना	1.00
3	स्थानीय चट्टे से उठाकर ट्रक पर लदायी	1.00
4	भरे बोरों को स्थानीय चट्टे से हटाकर गोदाम/अहाते में 16 छल्ली तक पक्के चट्टे लगाना तथा पक्के चट्टे से बोरों को उतरवाकर 10 प्रतिशत तौल के उपरान्त ट्रक पर लदायी	1.20
योग		**6.50**

(3) शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि प्रायः हैण्डलिंग ठेकेदार कम दरों पर ठेके लेकर किसानों से अनुचित कटौतियाँ करते हैं, जिससे किसानों का शोषण होता है। ठेकेदारों की इस अनुचित प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से हैण्डलिंग ठेकेदारों को 50 कि0ग्रा0 भर्ती के बोरों की

उपरोक्तानुसार हैण्डलिंग के लिये रूपया **3.30 प्रति कुन्टल** से कम दर पर ठेका बिल्कुल न दिया जाये। ऐसे व्यक्तियों, जिनका कार्य खसब पाया जाये और उनकी शिकायतें प्राप्त हुई हो तो गुण–दोष के आधार पर भविष्य में उन्हें ठेकेदार न नियुक्त किया जाये।

(4) हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, जमानत की धनराशि जमा कराने तथा अनुबंध पत्र भरने की कार्यवाही शासनादेश संख्या–813/29–खा0–5–5(5)/89 दिनाँक 07–अप्रैल, 1989 के अनुसार की जायेगी।

12. **<u>क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूँ के सम्प्रदान एवं बोरों की व्यवस्था हेतु परिवहन व्यय की दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति</u>**

(1) रबी खरीद वर्ष 2013–2014 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी, जिसके तहत **1.70 लाख** मी0टन गेहूँ का सम्प्रदान स्टेट पूल में तथा क्रय किये जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था समय से की जानी अपेक्षित है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन दरों में एकरूपता बनाये रखने के लिए परिवहन ठेकेदारों को भुगतान के लिए दरों के निर्धारण का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। दरों का निर्धारण करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा ट्रान्सपोर्ट यूनियनों से प्रचलित दरें ज्ञात की जायेगी तथा डीजल की दरों में वृद्धि आदि को ध्यान में रखकर खाद्यान्न एवं बोरों के परिहवन हेतु दरों का निर्धारण किया जायेगा।

(2) परिवहन ठेकेदारों को टेण्डर के आधार पर नियुक्त करने में वही मापदण्ड एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो रबी खरीद वर्ष 2012–2013 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में अपनायी जाती रही है। अच्छी साख एवं ईमानदारी की साख वाले व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये तथा यथासम्भव खाद्यान्न व्यापारियों को ठेकेदार न नियुक्त किया जाये। यदि अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों में खाद्यान्न व्यापारियों को नियुक्त करना ही पड़े, तो ऐसे व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये, जिनके विरूद्ध कोई शिकायत न हो। ठेकेदारों की नियुक्ति में पुराने, अनुभवी तथा ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाय, जिनके पास अपने ट्रक हों। इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित क्रय एजेंसी का होगा कि ठेकेदार गेहूँ खरीद में बिचौलियों का कार्य न करने पाये।

(3) नियुक्त परिहवन ठेकेदारों के हस्ताक्षर के नमूने एवं उनके द्वारा परिवहन कार्य में लगाये गये ट्रकों के रजिस्ट्रेशन नम्बर सभी सम्बन्धित क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ठेकेदारों को आदेश दिये जाये कि जब भी वह ट्रकों को राजकीय खाद्यान्न के परिवहन हेतु भेजे तो ट्रक ड्राईवर के हस्ताक्षर को भी अपने पैड पर सत्यापित करके भेजें। ताकि केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सके कि उक्त ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से ही भेजा गया है।

(4) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन की खरीद के अनुपात में ट्रकों की आवश्यकता का आंकलन कर अनुबंध पत्र में यह शर्त अवश्य जोड़ी जाये कि न्यूनतम ट्रकों की उपलब्धता, नियुक्त ठेकेदार के पास हमेशा रहेगी। यह भी ध्यान रखा जाये कि ठेकेदार से अनुबंध पत्र भराने के बाद ही कार्य कराना प्रारम्भ किया जाये।

(5) परिवहन ठेकेदार से ₹ 15,000/– की नकद जमानत एवं क्रय केन्द्र पर (जिस वर्ष अधिकतम खरीद हुई थी के आधार पर) अधिकतम 10 दिन की खरीद मात्रा के मूल्य की दस प्रतिशत धनराशि के बराबर फैडिलिटी बान्ड राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिया जाय। यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबंध तथा जमानत पर स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प एक्ट की अनुसूची में निर्धारित

दर के अनुसार लगेगा, जो ट्रांसपोर्ट ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन केन्द्रों पर खरीद की मात्रा कम होने के कारण परिवहन कार्य को सम्पन्न करने में कठिनाई हो रही हो तो वहाँ सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने विवेक से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए जमानत की धनराशि न्यूनतम रूपये 5,000/– तक रख सकते हैं, परन्तु जमानत कम करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्यवाही से शासन को कोई हानि न हो। यदि ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार से गेहूँ के संचरण में कोई क्षति होती है तो उससे इस क्षति के मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य की धनराशि के बराबर क्षतिपूर्ति करायी जायेगी। इस शर्त को भी अनुबन्ध पत्र में रखा जायेगा। ऐसे सभी मामलों का विवरण सम्बन्धित क्रय एजेंसी के वित्त नियंत्रक एवं विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा।

(6) उपर्युक्त विवरण के अनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों की नियुक्ति तथा उनके अनुबन्ध भराने आदि की कार्यवाही निर्धारित समय–सारणी के अनुसार सुनिश्चित कर ली जाये।

13. क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले काँटा–बाँट का सत्यापन

क्रय केन्द्रों पर प्रयोग के लिये रखे गये बाँट तथा माप का सत्यापन समय–समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित विधिक बाट माप निरीक्षक 01 अप्रैल, 2013 से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि गेहूँ क्रय योजना 2013–2014 में स्थापित होने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले काँटा–बाँट का सत्यापन/मानकीकरण/मुद्रांकन कर दिया जाए साथ ही समस्त क्रय एजेंसियाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि क्रय केन्द्रों पर सही बाँट तथा काँटे का प्रयोग हो। किसी भी दशा में ईंट, पत्थर अथवा इस प्रकार के मानक बाँटों से भिन्न किसी भी वस्तु का प्रयोग बाँट के रूप में तौल हेतु न किया जाय। किसी भी दशा में घटतौली तथा बढ़तौली की शिकायत न होने पाये।

14. क्रय केन्द्रों हेतु भूमि का किराया

यदि किसी क्रय एजेंसी को क्रय हेतु भूमि किराये पर लेनी पड़ती है तो किराया भुगतान उसके द्वारा अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से किया जायेगा, इसके लिए शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नही की जायेगी। भूमि का किराया एकरूपता तथा मितव्ययिता की दृष्टि से जिलाधिकारी द्वारा प्रति वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की दर अधिकतम होगी।

15. क्रय अवधि

दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से मण्डी में गेहूँ की आवक होने के साथ ही मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और यह क्रय अवधि दिनांक 30 जून, 2013 तक रहेगी। मितव्ययता की दृष्टि से और कम आवक के कारण यदि कोई क्रय केन्द्र बन्द करने की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी ऐसे क्रय केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय स्वविवेकानुसार ले सकते हैं। सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 08:00 बजे से सांयः 06:00 बजे तक खुले रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर क्रय समय की वृद्धि की जा सकती है। रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों में भी क्रय केन्द्र नियमित रूप से खुले रहेगें।

16. स्टेटपूल में भण्डारण, गुणवत्ता एवम् स्टाक की सुरक्षा व्यवस्था

विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत स्टेटपूल में **1.70 लाख मी0टन** गेहूँ भण्डारित किया जाना है। राज्य में खरीफ सत्र, 2012–13 हेतु 91,650 मी0टन भण्डारण क्षमता पूर्व से ही एस0डब्ल्यू0सी0/सी0डब्ल्यू0सी0/विभागीय गोदामों पर आरक्षित है। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा गेहूँ खरीद हेतु अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव

खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा, जिसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में खाद्यायुक्त द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिया जायेगा। गेहूँ संग्रह हेतु भण्डारण क्षमता कीकमी के दृष्टिगत (एस0डब्ल्यू0सी0/सी0डब्ल्यू0सी0 से खुले में भी गेहूँ का संग्रहण कराया जा सकता है। यदि किन्ही कारणों से स्टेटपूल में गेहूँ कम भण्डारित हो पाता है तो राज्य की अतिरिक्त गेहूँ की आवश्यकता केन्द्रीय पूल से भा0खा0नि0 से गेहूँ लेकर की जायेगी। केन्द्रीय पूल हेतु भा0खा0नि0 को गेहूँ का सम्प्रदान तब प्रारम्भ किया जायेगा जब स्टेटपूल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी। स्टेटपूल में गेहूँ की मात्रा का भण्डारण खाद्य विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (एस0डब्ल्यू0सी0) एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी0डब्ल्यू0सी0) के गोदामों में क्षमता आरक्षित कराकर एवं अपने वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गोदामों में किया जायेगा। गेहूँ के भण्डारण में गेहूँ की गुणवत्ता एवं स्टाक की सुरक्षा हेतु संग्रह एजेन्सी क्रमशः एस0डब्ल्यू0सी0 एवं सी0डब्ल्यू0सी0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

प्रदेश में गेहूँ खरीद की दृष्टि से अधिकांश जनपद डेफीसिट है। अतः डेफीसिट जनपदों में गेहूँ की आवश्यकता की पूर्ति सरप्लस जनपदों से गेहूँ भेजकर की जायेगी, जिसका विस्तृत मूवमेंट प्लान खाद्यायुक्त द्वारा शासन की अनुमति से आवश्यकतानुसार तैयार करके क्रियान्वित किया जायेगा, जिससे सरप्लस जनपदों में भण्डारण गोदामों में पर्याप्त स्थान बना रहे तथा डेफीसिट जनपदों के खाली गोदामों में भण्डारण किया जा सके तथा उसका उपयोग भी हो सके। मूवमेन्ट प्लान में रेल, सड़क मार्ग से गेहूँ का प्रेषण इस प्रकार किया जायेगा कि खाद्यान्न पहुंचने में कम समय लगे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, उपभोक्ताओं को समय से उपलब्ध हो सके, साथ ही परिवहन व्यय में भी मितव्ययिता सुनिश्चित हो।

प्रदेश में स्थित एस0डब्ल्यू0सी0 एवं सी0डब्ल्यू0सी0 के प्रत्येक गोदाम में जहाँ गेहूँ का भण्डारण स्टेटपूल में किया जायेगा, वहाँ खाद्य विभाग का स्टाफ तैनात रहेगा जो गेहूँ की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच के उपरान्त गेहूँ का स्टाक प्राप्त करेगा। विशेष परिस्थितियों में जहाँ पर एस0डब्ल्यू0सी0 के गोदामों में भण्डारण हेतु स्थान रिक्त नहीं बचेगा तथा अन्य स्थलों पर मूवमेंट संभव नहीं हो सकेगा, ऐसी परिस्थिति में गेहूँ खरीद प्रभावित न होने पाये इसको दृष्टिगत रखते हुये सभागीय खाद्य नियंत्रक गेहूँ भण्डारण हेतु खाद्य विभाग के गोदामों का प्रयोग कर सकेंगे एवं इसकी सूचना तत्काल खाद्यायुक्त को देंगे। इस प्रकार भण्डारित गेहूँ के संबंध में उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा आदि का दायित्व संबंधित संभागीय खाद्य नियंत्रक का होगा।

17 स्टेट पूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ की संचरण व्यवस्था

गढ़वाल सम्भाग में गेहूँ की खरीद अपेक्षाकृत कुमायूँ सम्भाग के सापेक्ष नगण्य होने एवं गढ़वाल सम्भाग की विभिन्न योजनाओं में गेहूँ की केन्द्रवार आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूँ सम्भाग/गढ़वाल सम्भाग में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ का संचरण प्रोग्राम शासन की अनुमति से आयुक्त, खाद्य के स्तर से जारी किया जायेगा, जिसमें कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग के गेहूँ क्रय केन्द्रों से सीधे स्टेटपूल गोदामों हेतु संचरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, ताकि विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत कुमायूँ सम्भाग के साथ–साथ गढ़वाल सम्भाग में भी आवंटन के अनुरूप गेहूँ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय भण्डारण निगम, श्रीनगर हेतु गेहूँ की आपूर्ति चावल की भाँति ऋषिकेश केन्द्र से की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने–अपने सम्भाग में भण्डारण ऐजेन्सियों की आरक्षित संग्रहण क्षमता के पूर्ण उपयोग के साथ–साथ अन्तर–सम्भाग (**inter-regional**) गेहूँ का ऐसा संचरण/भण्डारण करायेंगे कि आन्तरिक गोदामों को गेहूँ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि रबी खरीद वर्ष 2013–14 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद व्यवस्था के सफल संचालन हेतु सहायक निबन्धक, नैनीताल, सहायक निबन्धक, ऊधमसिंहनगर एवं सहायक निबन्धक, चम्पावत को अपने–अपने जिलें की गेहूँ खरीद हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, सहायक निबन्धक सुनिश्चित करेंगे, कि उनके जनपदों में सहकारिता विभाग व यू0सी0एफ0 के समस्त गेहूँ क्रय केन्द्र दिनांक 01.04.2013 से गेहूँ खरीद हेतु पूर्ण रूप से संचालित हो जायें। उनमें स्टॉफ की नियुक्ति, परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति बोरों की व्यवस्था, बैनरों की व्यवस्था, समस्त अभिलेखों की व्यवस्था, भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था, कॉटे–बॉटो की व्यवस्था आदि सब प्रकार की व्यवस्थायें कराने हेतु सहायक निबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

18 **क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख–रखाव**

प्रत्येक क्रय एजेंसी द्वारा क्रय केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेंगेः–

1. आवक–क्रम एवं टोकन रजिस्टर
2. पर्ची काश्तकार
3. क्रय पंजिका
4. स्टॉक रजिस्टर
5. रजेक्शन रजिस्टर
6. निरीक्षण पंजिका
7. बैंक लेखा पंजी/चैक बुक/निर्गत चैकों की विवरण पंजिका
8. मूवमेन्ट चालान बुक
9. शासनादेश की पत्रावली
10. खरीद एवं सम्प्रदान के दैनिक विवरण पत्रों की पत्रावली
11. शिकायत पुस्तिका

माननीय जनप्रतिनिधयों द्वारा माँगे जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर, निरीक्षक पंजिका तथा शिकायत पंजिका दिखाई जायेगी।

19 **खरीद प्रक्रिया**

(1) राज्य के सूचना विभाग एवं मण्डी परिषद द्वारा क्रय योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। सम्बन्धित मण्डी समितियाँ भी इस आशय का प्रचार करेगीं कि किसान अपना गेहूँ साफ कर एवं सुखा कर क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु लाये, ताकि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो सके। यदि कृषक द्वारा साफ गेहूँ नहीं लाया जाता है तो उसे क्रय करने से पूर्व दो जाली वाले छन्ने से भली प्रकार अनिवार्यतः साफ कराकर ही क्रय किया जायेगा। आवश्यकतानुसार गेहूँ की सफाई हेतु क्रय केन्द्रों पर पंखों की भी व्यवस्था की जाये। यदि किसी कृषक द्वारा स्वयं गेहूँ साफ न करके, गेहूँ की सफाई का कार्य हैण्डलिंग ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता है तो काश्तकार से मण्डी समित द्वारा इस कार्य हेतु निर्धारित दर से सफाई का मूल्य उसके भुगतान से समायोजन द्वारा लिया जायेगा। किसी भी दशा में क्रय केन्द्र पर नकद धनराशि नहीं ली जायेगी।

(2) क्रय केन्द्र पर निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों का ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। गुण–निर्दिष्टियों के अनुसार अच्छे औसत दर्जे के गेहूँ का एक नमूना सील कर क्रय केन्द्र में पारदर्शी जार में रखा जायेगा, जो कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं माननीय जन प्रतिनिधियों को प्रदर्शित कराया जायेगा। यह नमूना क्रय केन्द्र पर ऐसे स्थान पर रखा जायेगा ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। सैम्पल जार पर बडे अक्षरों में "**प्रतिनिधि नमूना**" लिखा

होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय किये गये गेहूँ की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी क्रयकर्ता एजेंसी की होगी। स्टेट पूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपों पर सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कोई कमी पाई जाती हैं तो उसके लिए सम्बन्धित क्रयकर्ता कर्मचारी तथा क्रय एजेसी उत्तरदायी होंगे।

(3) सामान्यतः एक दिन में एक काँटे में 1,000 बोरों अर्थात 500 कुन्टल से अधिक की तुलाई नहीं हो सकेगी। क्रय एजेंसी के प्रभारी प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) के आधार पर काँटों की संख्या का निर्धारण कर लेंगे। काँटों की संख्या निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि इनको देखने के लिए स्टाफ पर्याप्त हो तथा क्रय अवधि अनावश्यक रूप से अधिक न हो जाँय।

(4) जैसे ही क्रय केन्द्र पर किसान अपने गेहूँ का नमूना लेकर आता है, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी जाँच की जायेगी। निर्धारित तिथि को गेहूँ लाने पर किसान का गेहूँ क्रय कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाय कि किसानों को अनावश्यक रूप से क्रय केन्द्रों पर रूकना न पड़े।

(5) गेहूँ की बोरों में भराई, सिलाई तथा स्टैंसिलिंग के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रहेगी :–

(क) बोरों में 50 कि0ग्रा0 गेहूँ की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी।

(ख) बोरों की सिलाई मशीन अथवा 12 टाँकों से मजबूत सुतली से की जायेगी।

(ग) प्रत्येक बोरे पर भराई की तिथि, भरते समय का वजन, क्रय केन्द्रों का नाम एवं जनपद/क्रय एजेन्सी/क्रय केन्द्र का कोड़ नम्बर अंकित होगा।

कोड नं0 निम्न प्रकार होंगे :–

(अ)	**क्रय एजेन्सी का नाम**	**कोड नम्बर**
1.	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)	01
2.	भारतीय खाद्य निगम	02
3.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0	03
(ब)	**जनपद का नाम**	**कोड नम्बर**
1.	देहरादून	001
2.	पौड़ी गढ़वाल	002
3.	हरिद्वार	003
4.	नैनीताल	004
5.	ऊधमसिंह नगर	005
6.	चम्पावत	006

क्रय केन्द्रों के कोड क्रय एजेंसियों द्वारा निर्धारित कर जिलाधिकारी सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, भारतीय खाद्य निगम एवं शासन को दिनाँक 01 अप्रैल, 2013 से पूर्व सूचित किये जायेंगे।

भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012 –पीवाई–।।। दिनाँक 20.11.2012 के अनुसार गेहूँ के बोरों की कलर कोडिंग निम्नवत् की जायेगी :–

1. प्रत्येक बोरे पर किसी भी सिलाई छोर से 150 मि0मी0 की दूरी पर **"लाल रंग"** द्वारा।
2. स्टेन्सिल या ब्राडिंग **"नीला रंग"**।
3. बोरे भरने के पश्चात मुँह के हिस्से पर सिलाई **"लाल रंग"** द्वारा।
4. बोरे के बीच में लम्बाई पर एक **नीले रंग** की अकेली स्ट्रिप होगी।
5. यदि पूर्व से **रबी विपणन सत्र/खरीफ–खरीद सत्र** के दौरान उपयोग में न लाये गये **लाल रंग के निशान के** नये बोरे उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में रबी विपणन सत्र 2013–2014 मे उक्त बोरे ही इस्तेमाल में लाये जायेगे।

उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टैंसिलिंग व छपाई न करने पर क्रय एजेंसियाँ ठेकेदार से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियाँ करेंगी :–

क्र0सं0	विवरण	कटौती की दर
1	खराब सिलाई 12 टाँकों से कम	रूपये 0.10 पैसे प्रति बोरा
2	स्टैंसिलिंग न करना/खराब करना	रूपये 0.15 पैसे प्रति बोरा
3	गेहूँ में जीवित घुन पाया जाना (फ्यूमिगेशन चार्जेज)	रूपये 0.50 पैसे प्रति बोरा

(6) यदि क्रय केन्द्र पर किसी कारण किसान का गेहूँ अस्वीकृत किया जाता है तो रिजेक्शन रजिस्टर में कृषक का नाम, उसका पूरा पता, लाये गये गेहूँ की मात्रा, अस्वीकृत किये गये गेहूँ की मात्रा तथा अस्वीकार किये जाने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण, अस्वीकार करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जायेगा। इस कारण की सूचना कृषक को भी दी जायेगी। यह रिजेक्शन रजिस्टर माँग किये जाने पर सम्बन्धित कृषक, माननीय जन प्रतिनिधिगण तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को दिखाया जायेगा।

(7) क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये तथा सम्प्रदान हेतु अवशेष गेहूँ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रय एजेंसियों का होगा। सुरक्षा के लिए सभी वाँछित उपाय क्रय एजेंसी करेगी। इस पर होने वाला व्यय अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से ही वहन किया जायेगा तथा शासन/भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस मद में अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

20. **<u>भारतीय खाद्य निगम को क्रय किये गये गेहूँ का सम्प्रदान</u>**

(1) गेहूँ का क्रय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत 1.70 लाख मी0टन का सम्प्रदान/संग्रहण स्टेट पूल में तथा क्रय किया जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(2) क्रय केन्द्र से स्टेट पूल डिपोज/भारतीय खाद्य निगम के डिपो तक गेहूँ की ढुलाई सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों द्वारा कराई जायेगी।

(3) जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय केन्द्रों को डिपो डिलीवरी बिन्दुओं से सम्बद्ध करने के लिए मूवमेन्ट प्लान उपलब्ध कराया जायेगा। खरीदा गया गेहूँ क्रय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से जमा न हों, इसके लिये आवश्यक है कि गेहूँ का संचरण खरीद केन्द्रों द्वारा खरीद के दिन से ही प्रारम्भ किया जाये।

(4) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर प्रत्येक क्रय एजेंसी द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जायेगा तथा भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर जो ट्रक सांयकाल 5.00 बजे तक पहुँच जायेगा उनकी उतराई उसी दिन की जायेगी।

(5) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ का लोडेड ट्रक पहुँचने पर ट्रक का विवरण गेट प्रवेश पंजिका में अंकित करके ड्राईवर को टोकन दिया जायेगा, जिसमें ट्रक के डिपो पर पहुँचने की तिथि तथा क्रम संख्या का उल्लेख होगा। भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर क्रम संख्या के अनुसार ही ट्रकों की अनलोडिंग की जायेगी।

(6) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ की डिलीवरी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर वे–ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है ताकि शत प्रतिशत तौल सुनिश्चित हो सके, परन्तु जहाँ यह सुविधा न हो वहाँ गेहूँ के बोरों की 10 प्रतिशत तौल के आधार पर डिलीवरी लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज द्वारा स्टाक के स्वीकृति के 24 घन्टे के अन्दर सम्बन्धित क्रय एजेंसी को गेहूँ का एक्नालेजमेंट दिया जायेगा तथा क्रय एजेंसी द्वारा बिल प्रस्तुत करनें के 72 घन्टे के अन्दर भुगतान कर लिया जायेगा। क्रय एजेन्सियों का यह दायित्व होगा कि वह भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिदिन एक्नालेजमेन्ट प्राप्त करेंगे।

21. **सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद का निराकरण**

सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता सम्बन्धी विवादों के निराकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(1) विवाद की दशा में भारतीय खाद्य निगम तथा सम्बन्धित क्रय एजेंसी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए क्रय एजेंसी तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे।

स्टेट पूल में गेहूँ की डिलीवरी की दशा में खाद्य विभाग एवं सम्बन्धित क्रय एजेंसी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए क्रय एजेंसी तथा खाद्य विभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे।

(2) यदि विवाद इस समिति द्वारा हल नहीं हो पाता है, तब उच्चतर समिति विवाद का निपटारा करेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(अ) भारतीय खाद्य निगम के सहायक प्रबन्धक।
(ब) सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी।
(स) सम्भागीय विपणन अधिकारी।

22. **संग्रह एजेंसी द्वारा अस्वीकृत गेहूँ का निस्तारण**

क्रय संस्थाओं द्वारा खरीदा गया गेहूँ यदि भा0खा0नि0/स्टेटपूल गोदामों पर अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसे क्रय संस्थाओं द्वारा बाजार में बेचकर निस्तारित किया जायेगा जिसके लिये अलग से शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इस मद में होने वाले किसी व्ययभार की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में नहीं की जायेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार की विपणन शाखा को भी अस्वीकृत गेहूँ अपने स्तर से निस्तारित करना होगा। ऐंसा करने में यदि शासन को आर्थिक हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली करके की जायेगी।

23. **कठिनाईयों का निराकरण**

गेहूँ खरीद से संबंधित जारी किये गये इस शासनादेश के क्रियान्वयन में यदि किसी समय में कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिये स्थिति स्पष्ट करने के लिये आवश्यकता होती है, तो उसके लिये आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, जो नीतिविषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो तो आयुक्त खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

24. **पुरस्कार, मानदेय एवं दण्ड की व्यवस्था**

गेहूँ खरीद में महत्वपूर्ण योगदान देने पर क्रय केन्द्रों पर तैनात स्टाफ को पुरस्कार/मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गेहूँ क्रय में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होती है या लक्ष्य के अनुरूप क्रय किये जाने में योगदान नहीं दिया जाता है तो उसे नियमानुसार दण्डित किये जाने पर भी विचार किया जायेगा।

25. **खाद्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना**

राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून स्थित कार्यालय में खोला जायेगा। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष/फैक्स संख्या–2740778, 2740765 होगा। नियंत्रण कक्ष प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक खुला रहेगा। इसी प्रकार सम्भाग स्तर पर खरीद नियंत्रण कक्ष सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में तथा जनपद स्तर पर जिलापूर्ति अधिकारियों के कार्यालयों में स्थापित किये जायेंगे। सम्भाग स्तर एवं जनपद स्तर से दैनिक रूप से नियमित गेहूँ खरीद से सम्बन्धित सूचना आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी। गेहूँ से सम्बन्धित एजेंसीवार तथा जनपदवार सूचनायें निर्धारित प्रपत्र में प्रभारी नियंत्रण कक्ष द्वारा अपर आयुक्त/आयुक्त को प्रतिदिन प्रस्तुत की जायेगी तथा अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा रेडियोग्राम/फैक्स के माध्यम से शासन/भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी।

26. **गेहूँ क्रय का अनुश्रवण**

(1) जिला स्तर पर जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी द्वारा क्रय एजेंसी एवं भारतीय खाद्य निगम के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार बैठक कर समीक्षा की जायेगी तथा खरीद एवं सम्प्रदान कार्य में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण एवं समाधान कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा बोरों की व्यवस्था, गेहूँ खरीद तथा भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान आदि कार्यों की नियमित समीक्षा की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा क्रय एजेंसियों के अधिकारी नियमित रूप से भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक करेंगे और गेहूँ खरीद कार्य की समीक्षा करेंगे तथा शासन को नियमित रूप से प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

(3) उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 द्वारा संचालित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद एवं सम्प्रदान कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण निबन्धक, सहकारी विपणन संघ, अपर निबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 तथा सम्बन्धित सहायक निबन्धक द्वारा किया जायेगा। निबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व (गेहूँ खरीद योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में) निर्धारित कर परिपत्र जारी करेंगे तथा उसकी प्रति सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध करायेंगे।

27. **क्रय केन्द्रों का निरीक्षण**

(1) रबी विपणन सत्र 2013–2014 में स्थापित क्रय केन्द्रों का सघन एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, सम्बन्धित जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा गेहूँ खरीद केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं, उन पर अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं, किसानों से नियमानुसार गेहूँ खरीद की जा रही है और किसानों को नियमित भुगतान हो रहा है तथा खरीद प्रक्रिया में बिचौलिये कार्यरत नहीं है। निरीक्षण के दौरान देखी जाने वाली मुख्य बातों को ध्यान में रखकर वस्तुस्थिति का टिप्पणी में उल्लेख किया जायेगा।

(2) निरीक्षण कार्य, पी0ओ0एल0 एवं गाड़ी अनुरक्षण आदि पर व्यय सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किया जायेगा।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ खरीद व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ MOU हस्ताक्षरित हो जाने की प्रत्याशा में उपरोक्त गेहूँ खरीद नीति जारी की जा रही है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार रबी क्रय विपणन सत्र 2013–2014 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद की प्रभावी व्यवस्था की जाये।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव।

संख्या– (1)/13–XIX-2/60 खाद्य/2013, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वांल।
9– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– निजी सचिव, मा0 खाद्य मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11– निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14– जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून एवं हल्द्वानी।
15– निबन्धक, सहकारी विपणन संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमायूँ एवं गढ़वाल सम्भाग।
17– सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18– समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
19– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव।